सी.एस.आई.आर— राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला डा. के. एस कृष्णणन् मार्ग नई दिल्ली. 110012

प्त्र सं. 2/4/मेडि/15-ई-1

दिनांक: 24/02/2015

परिपत्र

सी.एस (एम.ए) नियम,1944 के तहत गैर सी.जी.एच.एस क्षेत्रों मे रहने वाले एन.पी.एल के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिये नियुक्त प्राधिक्त चिकित्सकों की सेवायें दिनांक 31.3.2015 को समाप्त हो रहीं हैं।

तद्नुसार, गैर सी.जी.एच.एस क्षेत्रों में रह रहे प्रयोगशाला के कर्मचारियों से निवेदन किया जाता है कि वह स्वंय एवं अपने आश्रितों के लिये प्राधिकृत चिकित्सक की नियुक्ति हेतू अपने संबंधित क्षेत्र के, चिकित्सक जो कि केन्द्र/राज्य/और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/ पंजीकृत निजी चिकित्सक, उनके और उनके आश्रितों के लिये प्राधिकृत चिकित्सक के रूप में सी.एस (एम.ए) नियम,1944 परिशिष्ट IX के अनुदेशों की नियम और शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिये इच्छुक हो, चिकित्सक की सहमित पत्र और कर्मचारी अपने प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 13.3.2015 तक कार्यालय में जमा कर दें तािक गैर सी.जी.एच.एस क्षेत्रों में रह रहे कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिये प्राधिकृत चिकित्सकों की नियुक्ति की जा सकें। दिनांक 13.3.2015 के बाद प्राधिकृत चिकित्सकों की नियुक्ति हेतू प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

अजय कुमार हान्डा) अनुभाग अधिकारी

सूचनार्थ हेतूः सभी सूचनापटट् एन.पी.एल इटंरानेट